अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

बैंक ऋण वसूली सं0– 01/2014

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

बनाम

मेसर्स ॐ सूर्याय नमः कोल्ड स्टोरेज, गड़खा

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
06.10.2015	यह वाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सारण, छपरा के द्वारा मे0 ॐ सूर्याय नमः कोल्ड स्टोरेज, गड़खा (पार्टनर– हरि शंकर सिंह पिता स्व0 राम सुभाग सिंह एवं रूबी सिंह पति हरि शंकर सिंह, पो0–मोहम्मदपुर, थाना–गड़खा, जिला–सारण) के विरूद्ध सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 14 (1 एवं 2) के अंतर्गत कार्रवाई हेतु प्रेषित आवेदन के आलोक में प्रारम्भ हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सारण, छपरा से प्राप्त उक्त कागजातों के आलोंक में आदेश दिनांक 10.07.14 पारित करते हुए अंचल अधिकारी गड़खा को बैंक में गिरवी रखी गई सम्पति के कागजात के आलोंक में बैक को कब्जा दिलाने हेतु प्राधिकृत करते हुए संबंधित अन्य पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया। अंचल अधिकारी गड़खा के पत्रांक 459 दिनांक 26.07.14 के द्वारा विपक्षी के एक आवेदन को संलग्न कर मार्गदर्शन की मॉग की गई जिसमें अंकित किया गया था कि विपक्षी के द्वारा डी0 आर0 टी0 पटना में एस0ए0सं0–९0/14 दाखिल किया गया है, जिसमें सुनवाई की अगली तिथि 13.08.14 निर्धारित थी। इस न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.14 से अंचल अधिकारी गड़खा को आदेशित किया गया कि वे डी0 आर0 टी0 पटना में दाखिल एस0ए0सं0–90/14 की अद्यतन स्थिति की जॉच कर लें। यदि वहॉ से कोई स्थगन आदेश पारित है तो आगे कार्रवाई न की जाय, लेकिन यदि	

ऐसा कोई आदेश पारित नही है, तो इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन करके अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

अंचल अधिकारी गड़खा के पत्रांक 242 दिनांक 16.03.15 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बैंक से प्राप्त कागजात में अंकित जमीन में संबंधित कोल्ड स्टोरेज के स्थित नहीं होने के कारण बैंक को कब्जा दिलाने की कार्रवाई नहीं की जा सकी।

दिनांक 16.04.15 को संबंधित बैंक, विपक्षी एवं अंचल अधिकारी गड़खा की उपस्थिति में सुनवाई की गई। सुनवाई के उपरांत विपक्षी को निर्देश दिया गया कि वे सुनवाई की अगली तिथि 21.05.15 के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में जमीन खरीदने वाले ग्राहक के साथ बैंक से सर्म्पक करके संबंधित जमीन को मुक्त करवाने हेतु आवश्यक राशि बैंक मे जमा करना सुनिश्चित करें।

सुनवाई की अगली तिथि 21.05.15 को उभय पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई की गई। बैंक के द्वारा बताया गया कि अभी तक विपक्षी के द्वारा उनसे सर्म्पक नहीं किया गया है। विपक्षी को पुनः निर्देश दिया गया कि सुनवाई की अगली तिथि 17.06.15 के पूर्व हर हाल में इस न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

अन्य कार्यो में व्यस्तता की वजह से अगली कई तिथियों को सुनवाई करना सम्भव नहीं हो सका। दिनांक 06.10.15 को उभय पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई की गई। बैंक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विपक्षी के द्वारा अब तक इस न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जमीन बेचने हेतु ग्राहक खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्हें थोड़ा और समय दिया जाय।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मै पाता हूँ कि **विपक्षी के अनुरोध पर उन्हे बार बार अवसर दिया गया है। पिछले छः माह से उन्हे लगातार समय दिया जा रहा है, लेकिंन अभी तक उनके द्वारा बैंक से संर्पक नहीं करने का स्पष्ट अर्थ है कि उनकी मंशा बैंक का ऋण चुकाने का कतई नही है। वे**

समय पर समय लेकर टाल मटोल करना चाहते है। अतः अंचल अधिकारी गड़खा को प्राधिकृत करते हुए निर्देश है कि वे बैक के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले कागजातों में अंकित सम्पति का दखल कब्जा विहित प्रकिया के तहत बैंक को दिलाना सुनिश्चित करें।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा को निर्देश है कि वे आपसी समन्वय स्थापित कर उक्त कार्य के लिए एक तिथि निर्धारित करते हुए दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें।

पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा को निर्देश है कि वे अंचल अधिकारी गड़खा से प्राप्त होने वाली अधियाचना के आलोक में विहित प्रकिया के तहत पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन 15.11.2015 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

अभिलेश 15.11.2015 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

12/10/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

12/10/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक, 943 /न्यायालय, दिनांक 12.10.15

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी सदर छपरा /अंचल अधिकारी गड़खा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार कहना है कि उक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर छपरा के द्वारा निर्धारित की जाने वाली तिथि के पूर्व अंचल अधिकारी, गड़खा से संर्पक स्थापित कर उन्हें गिरवी रखे गए कागजात एवं अन्य प्रासंगिक कागजात की प्रति उपलब्ध करायी जाय, ताकि निर्धारित तिथि को उनके द्वारा ससमय आवश्यक कार्रवाई की ज। सकें।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

12/10/15